तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 79 / 2016 उनवान अपूर्व बनाम IDR
06/5/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शा. किया गया है। पत्रावली पोर्टल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपजिलाधिकारी [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीणा (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 79/2026

1. अपूर्व पाटनी पुत्र अशोक कुमार पाटनी जाति जैन निवासी साधू वासवानी मार्ग कोलावा मुम्बई महाराष्ट्र हाल निवासी कटला बाजार पहाडिया चौराहा किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।

—अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 06/5/2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राजस्व अधि. के तहत पेश किया जिसमें प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 261 पुराना 180 खसरा नम्बर 268/127 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405/127 रकबा 0.5339 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 406/127 रकबा 1. 8122 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.4432 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम चुन्दडी पटवार हल्का बड़गांव भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। राजस्व विभाग द्वारा की गई सेग्रीकेशन कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि के राजस्व मानचित्र में तरमीम पूर्व राजस्व मानचित्र के विपरित अंकित कर दी गई है। जिसके कारण राजस्व मानचित्र एवं जमाबन्दी का मिलान नहीं होता है। सेग्रीकेशन पूर्व के राजस्व मानचित्र एवं वर्तमान राजस्व मानचित्र में विरोधाभाष होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर राजस्व ग्राम चुन्दडी पटवार हल्का बड़गांव भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान स्थित खसरा नम्बर 268/127 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405/127 रकबा 0.5339 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 406/127 रकबा 1.8122 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.4432 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व मानचित्र में सेकशिन पूर्व के राजस्व मानचित्र अनुसार पुनः संशोधित तरमीम की शुद्धि दर्ज कराने का श्रम करावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

...ना पत्र को दिनांक 27.03.2026 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 79/2026 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार किशनगढ को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ की और से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र का जवाब दावा बिन्दुवार निम्नांकित प्रकार से पेश है ग्राम चुन्दडी के खाता संख्या 261 पुराना 180 के खसरा संख्या 260/127 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म बंजर 01, खसरा संख्या 405/127 रकबा 0.5339 हैक्टेयर किस्म बंजर01, किस्म बारानी 01 0.2427 हैक्टैयर, खसरा संख्या 406/127 रकबा 1.8122 हैक्टेयर किस्म बंजर01 कुल किता 03 कुल रकबा 2.4432 हैक्टेयर पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार अपूर्व पाटनी पुत्र अशोक कुमार पाटनी हिस्सा पूर्ण जाति जैन सा. जानी मेकर अपार्टमेट कफ परेड 95–96–97 साधू गासवानी मार्ग खोजावा एसी मुम्बई (महाराष्ट) खातेदार दर्ज है। जिससे संबधित राजस्व जमाबन्दी तथा नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न है। उपरोक्त खसरा/खाता भूमि का राजस्व जमाबन्दी संवत 2069–2002 के दौरान नामा. 306 दिनांक 17.5.2004 से भूमि अवाप्त हुई और मूल रकबा भूमि खसरा नं. 127/3/1 रकबा 13 बीघा 4 बीस्वा से से 07 बीस्वा 13 बीस्वांशी भूमि अवाप्त हुई और नया खसरा 127/3/1/1 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा 07 बिस्वांसी दर्ज की गई। तथा शेष रकबा भूमि 12 बीघा 10 बिस्वा 07 बीस्वांशी में से दिनांक 17.9.2004 को रूपान्तरण होने से नामा. सं. 313 दिनांक 17.9.2004 को स्वीकार होने पर खसरा सं. 127/3/1/1 में से 10 बिस्वा 09 बिस्वासी भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिर्वन दर्ज किया गया है जिसके वर्तमान खसरा नं. 200/127 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। साथ ही सेग्रीगेशन के दौरान की गई तरमीम में खसरा नं. 406/127, 405/127, 200/127 व 268/127 में दर्ज कुल रकबा 2.5969 हैक्टर की तरमीम कुल क्षेत्रफल के स्थान पर 2.4289 हैक्टर की तरमीम की गई है। मौके पर खसरा सं 406/127, 405/127, 269/127 268/127 के खातेदार का कब्जा जमाबन्दी में दर्ज क्षेत्रफल 2.5969 हेक्टर क्षेत्रफल पर है. पडोसी खसरा नम्बर 551/449 रकबा 5.3879 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित है परन्तु राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नं. का क्षेत्रफल 5.5029 हैक्टर रकबा बरारी करने पर आता है तथा पडोसी खसरा 404/127 रकबा 3.4383 हैक्टर राजस्व जमाबन्दी में अंकित है परन्तु राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नं का क्षेत्रफल 3.4913 हैक्टर रकबा बरारी करने पर आता है। इस प्रकार वादी के खसरा संख्या के कम क्षेत्रफल रकबा 0.1880 हैक्टर की भरपाई खसरा संख्या 561/549 रकबा 0. 1150 हैक्टर व 404/127 रकबा 0.0530 हैक्टर से की जा सकती है।

3. तहसीलदार जवाब प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि कृषि भूमि खाता संख्या नया 261 पुराना 180 खसरा नम्बर 268/127 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405/127 रकबा 0.5339 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 406/127

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

रकबा 1.8122 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.4432 हैक्टेयर की तरमीम सेग्रीकेशन नक्शे से अनुसार किये जाने की कृपा करावें।

4. हमारे द्वारा तहसीलदार किशनगढ के जवाब का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपबब्ध दस्तावेज नक्शा , हल्का पटवारी रिपोर्ट, के अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 406/127, 405/127, 267/127 व 268/127 का रकबा वर्तमान जमाबन्दी में 2.5969 दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड मानचित्र में उक्त खसरों की तरमीम रकबा 2.4929 हैक्टेयर में ही की गई है तथा उक्त कम रकबा की तरमीम खसरा संख्या 551/549 एवं खसरा संख्या 404/127 में बढाकर कर दी गई है जबकि राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में खसरा संख्या 551/549 एवं 404/127 का रकबा कम दर्ज है। जिसे न्यायहित में शुद्ध किया जाना उचित है।

आदेश

अतः संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट एवं अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राज.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेश दिये जातें है कि वे वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा संख्या 268/127, 269/127, 405/127, 406/127 की तरमीम रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रकबा बरारी करते हुये करें तथा तरमीम में दर्शित कम क्षेत्रफल रकबा 0.1680 हैक्टेयर की भरपाई खसरा संख्या 551/549 में से रकबा 0.1150 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 404/127 रकबा 0.0530 हैक्टेयर से करते हुये वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मानचित्र में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा अन्तिम आदेश का एक भाग होगा, उसी नक्शे के उपरोक्तानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की जावे।

आदेश आज दिनांक 6/5/2016 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हमारे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

तारीख हुक्म	
	C NO. 12/2008 नवीन व. बदरीन
08/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप पी.ओ. साहब दौरे/अवकाश पर गये है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 15/4/26 को पेश हो
13/4/2026	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप। P.O. साहब राजकार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ~~[illegible]~~ जवाब प्रा०पत्र O7 R 4 CPC दिनांक 04/5/26 को पेश हो
04/5/26	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते जवाब प्रा०पत्र दिनांक 12/5/2026 को पेश हो
12/5/2026	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व वादी अनुपस्थित। वकील वादी व वादी को शाम 06:00 बजे तक इंतजार व बाद आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे है नाही उनका कोई प्रतिनिधि उप. हुआ है अतः वादी का वाद अंतर्गत O9 नियम 3 CPC के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर नम्बर से कम हो WB